

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्रावि/परिषद/सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैदिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदी पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नान्त निर्णय लिया गया :-

निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी0सी0आई0 द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी0सी0आई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी0सी0आई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	का	पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी0सी0आई0/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4887	शाहिद इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, गोरखपुर।	डिप्लोमा इन फार्मसी	60	60	

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0डी0आई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तैम करीय इली0 पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30,100.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु0-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-22,500.

(Handwritten Signature)

(Handwritten Signature)
Principal
Tahira Institute Of Medical Science
GIDA, GORAKHPUR

00 प्रतिशत शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर आसन द्वारा निर्गत किये जाने वाले आसनादेश प्रकाशित होंगे, और अनुसार कार्यवाही/क्रियात्मक कार्य आवश्यक होगा। पीछे निर्धारित तिथि वाले धरि सत्र 2020-21 हेतु पीछे का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो पीछे की नवीनताम धरें लागू होंगी।

- ✓ सत्र 2020 की (अथवा) प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बन्ध दिया जाने) दिनांक 01/08/2020 को शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ सत्र 2020 में सम्पन्न प्रवेश परीक्षा परिणम द्वारा आशुचित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। चौरों के रिजल्ट आने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ सत्र 2020 की शरत-सत्र पर निर्गत आसनादेश के अनुसार निर्दिष्ट-रूप सम्बद्धता शुल्क जमा करवा होगा।
- ✓ सत्र 2020 को एडवाइजरी/वीसी/सीसी/सीसी/सीसी से आगने छात्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जात आवश्यक होगा।
- ✓ सत्र 2020 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बसाये गये विधि/विधान/अधिनियम/आसनादेश/निदेश/एच विदेशक, प्राथमिक शिक्षा अधक, संभुता प्रवेश परीक्षा परिणम, 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा परिणम, 2020 द्वारा बसाये गये विधान, अधिनियम, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्य होंगी।
- ✓ शिक्षक इन कार्यको पारदर्शक तरीके से करवाये गये होंगे। नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में आवश्यक शर्तों के इस कार्य में सत्र 2020 पारदर्शकता सत्र का सत्र और शिक्षक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए सत्र कार्य करवाया जायेगी। प्राथमिक शिक्षा परिणम, संभुता प्रवेश परीक्षा परिणम, प्राथमिक शिक्षा निदेशावली एवं प्राथमिक शिक्षा विधान द्वारा प्रदेश शासन को बसाये गये कार्य प्राप्त किया जाता है तथा कार्य धर के सत्र में आ. न्यायलय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति सत्र की प्रवेश निर्गत किया जाता है तो सत्र प्रतिपूर्ति संबंधित सत्र को करनी होगी।
- ✓ शिक्षक इन कार्यको पारदर्शक तरीके से करवाये जाने वाली संस्थाओं को सम्पन्न प्रवेश परीक्षा परिणम, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत धरें के लिए आवश्यक प्रवेश परीक्षा हेतु आसनादेश प्रदान होने की पूर्ण वेबसाइट/आइड से अनुमोदन प्राप्त कर परिणम आसनादेश को पारदर्शक करवा होगा अथवा सत्र प्रवेश की (कार्यालय के माध्यम से अथवा संस्था धर पर सीधे प्रवेश) अनुमति सत्र प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनताम आसनादेश निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ सत्र को जाने आवश्यकता सत्र की शरत शुल्क जमा करने सत्र की ऐतिहासिक सुविधा, सत्र, सत्र-सत्र, पारदर्शक, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, आसनादेश शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करवा होगा।
- ✓ सत्र को शिक्षा-प्रतिष्ठान हेतु उपलब्ध आसनादेश करवा जाने के साथ सत्र के सत्र में सत्र के माध्यम से सत्र सुविधा करवा सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ सत्र का सुनिश्चित हो के कि सत्र में प्रस्तावित/समाहित पारदर्शक को बसाये जाने हेतु निर्गत समिति के सत्र पारदर्शक बसाये गये अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम आदि का सत्र सत्र द्वारा किसी अन्य पारदर्शक के सत्र में प्रवेश किया जाता है और अधिनियम की इसकी जानकारी होती है कि सत्र पारदर्शक का प्रवेश किसी अन्य-कार्य के लिए कर रही है तो सत्र सत्र की सम्बद्धता सत्र किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का अनुपालन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुसंधान/कार्यवाही की जायेगी।

(100 आसनादेश सिंह)
सचिव

सूचक- प्राथमिक/परिणम सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

उद् दिनांक: 15-09-2020

प्राथमिक-प्रधानाचार्य/निदेशक, माधिरा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, गोरखपुर।


Principal
Tahira Institute of Medical Science
GIDA, GORAKHPUR

(100 आसनादेश सिंह)
सचिव

- ✓ **संश्लेषण की प्रतिक्रियाएँ** (Exothermic reactions) में प्रतिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है।
- ✓ **संश्लेषण प्रतिक्रियाएँ** (Synthesis reactions) में दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है।
 उदाहरण: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ (हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन पानी बनाता है)।
- ✓ **विघटन प्रतिक्रियाएँ** (Decomposition reactions) में एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है।
 उदाहरण: $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$ (पानी का विघटन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में होता है)।
- ✓ **प्रस्थापक प्रतिक्रियाएँ** (Displacement reactions) में एक तत्व दूसरे तत्व को यौगिक से विस्थापित करता है।
 उदाहरण: $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$ (जस्ता ताम्रसulfate को विस्थापित करके ताम्र धातु बनाता है)।
- ✓ **आधा-प्रस्थापक प्रतिक्रियाएँ** (Double displacement reactions) में दो यौगिकों के आयन अदला-बदली करते हैं।
 उदाहरण: $NaCl + AgNO_3 \rightarrow NaNO_3 + AgCl$ (सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का प्रस्थापक प्रतिक्रिया)।
- ✓ **ऑक्सीकरण-अपचयन प्रतिक्रियाएँ** (Redox reactions) में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं।
 उदाहरण: $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$ (मैग्नेशियम का ऑक्सीकरण)।
- ✓ **संश्लेषण प्रतिक्रियाएँ** में प्रतिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है।
- ✓ **विघटन प्रतिक्रियाएँ** में प्रतिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है।
- ✓ **प्रस्थापक प्रतिक्रियाएँ** में प्रतिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है।
- ✓ **आधा-प्रस्थापक प्रतिक्रियाएँ** में प्रतिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है।
- ✓ **ऑक्सीकरण-अपचयन प्रतिक्रियाएँ** में प्रतिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है।
- ✓ **संश्लेषण प्रतिक्रियाएँ** में प्रतिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है।
- ✓ **विघटन प्रतिक्रियाएँ** में प्रतिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है।
- ✓ **प्रस्थापक प्रतिक्रियाएँ** में प्रतिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है।
- ✓ **आधा-प्रस्थापक प्रतिक्रियाएँ** में प्रतिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है।
- ✓ **ऑक्सीकरण-अपचयन प्रतिक्रियाएँ** में प्रतिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है।

(यदि यह स्थान)

है

संपर्क: 011-26101234

Page: 09/09/2023

पता:

SHYAMSHANK TAJANA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, GURGAON



